

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० - तारीख दायर तारीख फैसला
34/2018/प्रार्थना पत्र 12.02.2018 28.02.2018

उनवान

- 1- भागचन्द पिता प्रेमचन्द महाजन निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 2- पुष्पा पत्नि प्रेमचन्द महाजन निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- चन्द्रा पिता मोड़ा बलाई निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 2- रूपचन्द पिता कुन्दनमल शाह महाजन निवासी पुरानी अरवड़
- 3- शान्तीलाल पिता कुन्दनमल शाह महाजन निवासी पुरानी अरवड़
- 4- चैनसुख पिता कुन्दनमल शाह महाजन निवासी पुरानी अरवड़
- 5- शिमलादेवी पत्नि महावीर लोढा निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 6- मैनादेवी पत्नि छोटूनाथ नाथ निवासी नई अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 7- बंशी पिता कल्याणनाथ नाथ निवासी नई अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 8- छीतर पिता भज्जा बैरवा निवासी पुरानी अरवड़ तहसील फूलियाकलां
- 9- सलीम मो० पिता इब्राहिम मंसूरी निवासी गुलाबपुरा तह० हुरड़ार
- 10- गोर्धन पिता चतरा बैरवा निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 11- लालराम पिता राजू कुम्हार निवासी नई अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 12- श्रीकिशन पिता धन्ना कुम्हार निवासी नई अरवड़ तह० फूलियाकलां
- 13- माधु पिता कल्याण बैरवा निवासी पुरानी अरवड़ तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 221 आ०न० 992 रकबा 0.03 है०, कुल किता 01 रकबा 0.03 है०, खाता संख्या 219 आ०न० 987 रकबा 0.53 है०, आ०न० 988 रकबा 0.13 है०, आ०न० 997 रकबा 0.59 है०, आ०न० 998 रकबा 0.14 है०, आ०न० 999 रकबा 0.47 है०, आ०न० 1070 रकबा 0.12 है०, आ०न० 1071 रकबा 0.45 है०, आ०न० 1076 रकबा 0.81 है० आराजी कुल किता 08 रकबा 3.24 है० खाता संख्या 220 आ०न०

1077 रकबा 0.06 है0 कुल किता 01 रकबा 0.06 है0, व खाता संख्या 223 आ0न0 990 रकबा 0.66 है0, आ0न0 991 रकबा 0.61 है0, व आ0न0 993 रकबा 0.43 है0 कुल किता 03 रकबा 1.70 है0 भूमि स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 13 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थीगण की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.02.2018 को विपक्षी संख्या अप्रार्थी संख्या 1, 5 लगायत 8 व 10 लगायत 13 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1, 5 लगायत 8 व 10 लगायत 13 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकली प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 व 9 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम अरवड़ पटवार मण्डल अरवड़ संवत 2072 से 75 के खाता संख्या 221 आ0न0 992 रकबा 0.03 है0, कुल किता 01 रकबा 0.03 है0, खाता संख्या 219 आ0न0 987 रकबा 0.53 है0, आ0न0 988 रकबा 0.13 है0, आ0न0 997 रकबा 0.59 है0, आ0न0 998 रकबा 0.14 है0, आ0न0 999 रकबा 0.47 है0, आ0न0 1070 रकबा 0.12 है0, आ0न0 1071 रकबा 0.45 है0, आ0न0 1076 रकबा 0.81 है0 आराजी कुल किता 08 रकबा 3.24 है0 खाता संख्या 220 आ0न0 1077 रकबा 0.06 है0 कुल किता 01 रकबा 0.06 है0, व खाता संख्या 223 आ0न0 990 रकबा 0.66 है0, आ0न0 991 रकबा 0.61 है0, व आ0न0 993 रकबा 0.43 है0 कुल किता 03 रकबा 1.70 है0 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-



[Handwritten signature]

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरवड़ पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 221 आ0न0 992 रकबा 0.03 है0, कुल किता 01 रकबा 0.03 है0, खाता संख्या 219 आ0न0 987 रकबा 0.53 है0, आ0न0 988 रकबा 0.13 है0, आ0न0 997 रकबा 0.59 है0, आ0न0 998 रकबा 0.14 है0, आ0न0 999 रकबा 0.47 है0, आ0न0 1070 रकबा 0.12 है0, आ0न0 1071 रकबा 0.45 है0, आ0न0 1076 रकबा 0.81 है0 आराजी कुल किता 08 रकबा 3.24 है0 खाता संख्या 220 आ0न0 1077 रकबा 0.06 है0 कुल किता 01 रकबा 0.06 है0, व खाता संख्या 223 आ0न0 990 रकबा 0.66 है0, आ0न0 991 रकबा 0.61 है0, व आ0न0 993 रकबा 0.43 है0 कुल किता 03 रकबा 1.70 है0 कुल रकबा 5.03 है0 के प्रार्थीगण के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 2500/- (अक्षरे दो हजार/पॉच सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)

आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० -	तारीख दायर	तारीख फैसला
33/2018/प्रार्थना पत्र	12.02.2018	28.02.2018

उनवान

हंसराज पिता जगनाथ जाट निवासी हंसपुरा तहसील फूलियाकलां

- प्रार्थी

बनाम

- 1- गोपाल पिता सुखदेव जाट निवासी हुकमपुरा तह० फूलियाकलां
- 2- मेवा पिता कल्याण जाट निवासी रलायता तह० फूलियाकलां
- 3- कैलाश पिता कल्याण जाट निवासी रलायता तह० फूलियाकलां
- 4- गंगा बेवा कल्याण जाट निवासी रलायता तह० फूलियाकलां

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 128 एल०आर०एक्ट

उपस्थित :- श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 128 एल०आर०एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 413 आ०न० 1326 रकबा 2.12 है०, आ०न० 1327 रकबा 0.69 है०, आ०न० 1328 रकबा 0.49 है०, आराजी कुल किता 03 रकबा 3.30 है० भूमि स्थित है। पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं० 1 व 4 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं० 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से

पत्थरगढी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम रलायता पटवार मण्डल रलायता संवत् 2071 से 74 के खाता संख्या 413 आ0न0 1326 रकबा 2.12 है0, आ0न0 1327 रकबा 0.69 है0, आ0न0 1328 रकबा 0.49 है0, आराजी कुल किता 03 रकबा 3.30 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रलायता पटवार हल्का रलायता तहसील फूलियाकलां में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की खाता खाता संख्या 413 आ0न0 1326 रकबा 2.12 है0, आ0न0 1327 रकबा 0.69 है0, आ0न0 1328 रकबा 0.49 है0, आराजी कुल किता 03 रकबा 3.30 है0 का प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी में ऑफ सीजन में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 1300/- (अक्षरे एक हजार/तीन सौ रुपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थी से प्राप्त



(Handwritten signature)

करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28.02.2018 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।



dm.
(भंवरलाल कांसोटिया)

आर०ए०एस०

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

dm.
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाडा